भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2522

जिसका उत्तर गुरुवार, 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय रहित राज्य

2522 श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्ण रूप से राज्य बनने के बाद भी देश के कुछ राज्यों उनके स्वयं के उच्च न्यायालय नहीं हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उच्च न्यायालय रहित सभी राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ड.) : देश में उच्च न्यायालयों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार अधिकारिता सहित ब्यौरे उपाबंध पर दिए गए हैं । भारत के संविधान का अनुच्छेद 214 उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा । तथापि, ऐसे प्रस्तावों पर संबद्ध राज्य सरकार के साथ परामर्श करना अपेक्षित है क्योंकि राज्यों से आवश्यक अवसंरचना प्रसुविधाओं का सृजन करना और उपलब्ध कराना तथा उच्च न्यायालयों को स्थापित करने और चलाने के लिए व्यय को पूरा करना अपेक्षित है । इन प्रस्तावों पर वर्तमान क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले संबद्ध उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श करना भी आवश्यक है । वर्तमान में, सरकार के पास किसी नए उच्च न्यायालय को स्थापित करने के संबंध में कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

****

उपाबंध

उच्च न्यायालयों के नाम और उनकी अधिकारिता

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	अधिकारिता	
		राज्य	संघ राज्यक्षेत्र
1	इलाहाबाद	1. उत्तर प्रदेश	-
2	आंध्र प्रदेश	2. आंध्र प्रदेश	-
3	बम्बई	3. महाराष्ट्र 4. गोवा	1. दादरा और नागर हवेली 2. दमण और दीव
4	कलकत्ता	5. पश्चिम बंगाल	3. अंदमान और निकोबार द्वीप
5	छत्तीसगढ़	6 छत्तीसगढ़	
6	दिल्ली	-	4. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र
7	गुवाहाटी	7. असम 8. नागालैंड 9. मिजोरम 10. अरुणाचल प्रदेश	-
8	गुजरात	11. गुजरात	-
9	हिमाचल प्रदेश	12. हिमाचल प्रदेश	-
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	-	5. जम्मू-कश्मीर 6. लद्दाख
1 1	झारखंड	13. झारखंड	-
12	कर्नाटक	14. कर्नाटक	-
13	केरल	15. केरल	7. लक्षद्वीप द्वीपसमूह
14	मध्य प्रदेश	16. मध्य प्रदेश	-
15	मद्रास	17. तमिलनाडु	8. पुडुचेरी
16	मणिपुर	18. मणिपुर	-
17	मेघालय	19. मेघालय	-
18	उड़ीसा	20. ओडिशा	-
19	पटना	21. बिहार	-
20	पंजाब और हरियाणा	22. पंजाब 23. हरियाणा	9.चंडीगढ़
21	राजस्थान	24. राजस्थान	-
22	सिक्किम	25. सिक्किम	-
23	तेलंगाना	26. तेलंगाना	-
24	त्रिपुरा	27. त्रिपुरा	-
25	उत्तराखंड	28. उत्तराखंड	-

****